03/यो0स०क०-30/2022/ 81

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या/2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 7.8.2026

विषय:- **वितीय वर्ष 2026-27 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत संचालित स्वच्छता कार्य योजना (ए.डब्लू.एस.) हेतु रू. 694.32 लाख (छ: करोड चौरानवे लाख बत्तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से **"सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0"** योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.2017 के क्रम में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण योजना संचालित है। वितीय वर्ष 2026-27 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत संचालित स्वच्छता कार्य योजना (ए.डब्लू.एस.) के संचालनार्थ प्राप्त राशि रू. 694.32 लाख (छ: करोड चौरानवे लाख बत्तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1.	(सक्षम ऑगनबाडी पोषण 2.0) स्वच्छता कार्य योजना (एडब्लूएस)	60:40	3975	51-2235021020232	0232-27.01	694.32
रू. (छ: करोड चौरानवे लाख बत्तीस हजार)						**694.32**

2. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संचालनार्थ वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप समानुपातिक राज्यांश की राशि केन्द्रांश मद में उपबंधित किया गया है।

3 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 410/वि० दिनांक 12.06.2025, 226/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, **314/**वि० दिनांक 01.04;2026, **926/**वि० दिनांक 31.07.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-30/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-30/टि0 पर दिनांक- **06.08.2026** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-30/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या- 30/टि0 पर दिनांक- **07.08.2026** को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

8. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

7/8/26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 81 पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 81 पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 81 पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि–विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेत प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव